रा. मु. अ. 33 4 - 2000

A.P.P.
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

मोती बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा.............................नं0.............................सन्...................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13/1/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित बहस [illegible] सुनी गई। प्रकरण [illegible] स्वीकार किया जाता है। [illegible] निर्णय प्रारूप से लिखा। विस्तृत किया गया। प्रकरण [illegible] शामिल पत्रावली बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] 13/1/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत– न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बांदीकुई मुकाम– बांदीकुई

जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बांदीकुई

उनवान– मोती वगै0 बनाम नाथूलाल वगै0

दावा बाबत– दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण सं.– 32 / 2024

अतः आदेश है कि वाद वादी दावा तकास्मा का अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम पामाडी भूमि खाता संख्या नया 123 पुराना 122 के खसरा नम्बर 1158, 1159, 1161, 1162 लगा0 1164, 1166 कुल किता 07 कुल रकबा 0.43 है0 , खाता संख्या नया 124 पुराना 123 के ख0नं0 1123, 1126, 1130, 1131 लगा0 1136, 1174, 1175, 1176, 1178 कुल किता 13 कुल रकबा 0.72 है0 खाता संख्या नया 51 पुराना 49 के ख0नं0 1165 कुल किता 01 कुल रकबा 0.26 में प्राप्त कुर्रेजात अनुसार तहसीलदार बांदीकुई राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में आयी भूमि पर मजाहमत पैदा ना करे। मेरे द्वारा आज दिनांक 05.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निज.............................मुबलिग...बाबत्...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 01 सन् 2026 को जारी की गई।

13/1/26

(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस.

उप जिला कलक्टर

बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.................... 13/1/26

ओहदा....................

उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बाँदीकुई

मुकदमा नम्बर 32/2024
दर्ज दिनांक 04.03.2024
डिक्री निर्णय दिनांक 13.01.2026

उनवान

1. मोती पुत्र श्रीया
2. हटया पुत्र. श्रीया
3. रामबाबू पुत्र छाजू
4. मनोहरी पत्नी छाजूराम

} जाति माली निवासी पामाडी तह. बांदीकुई जिला दौसा

.....वादी

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र परसादी
2. रामखिलाडी पुत्र परसादी
3. बुद्धा पुत्र मूलचन्द

} जाति माली निवासी पामाडी तहसील बांदीकुई

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई

.....प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद वादीगण दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का जरिये वकील विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में पेश किया गया था, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–ग्राम पामाडी तहसील बांदीकुई पटवार हल्का उनबडागांव जिला दौसा में नये खाता संख्या 123 पुराने 122 जिसके आराजी खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.02 है० चाहीए. खसरा नम्बर 1159 रकबा 0.02 है० चाहीए, खसरा नम्बर 1161 रकबा 0.18है० चाही ए, खसरा नम्बर 1162 रकबा 0.02 है० चाही ए खसरा नम्बर 1163 रकबा 0. 02 है० चाही ए, खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.02 है० चाही ए, खसरा नम्बर 1166 रकबा 0.15 है० चाही ए, कुल किता 7 कुल रकबा 0.43 है० स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी सं० 1. 2 हिस्सा प्रत्येक 1/4, प्रतिवादी सं० 3, 4, हिस्सा प्रत्येक 1/16, प्रतिवादी सं० 1, 2 हिस्सा प्रत्येक 1/16, प्रतिवादी सं० 3 हिस्सा 1/8 के खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज है। ग्राम पामाडी तहसील बॉदीकुई जिला दौसा मे नये खाता संख्या 124 पुरानी 123 जिसके आराजी खसरा नम्बर 1123 रकबा 0. 06 है०चाही ए, खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.10 है० चाहीए, खसरा नम्बर 1130 रकबा 0.07 है० चाही ए, खसरा नम्बर 1131 रकबा 0.04 है० चाही ए, खसरा नम्बर 1132 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 1133 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 1134 रकबा 0.05 है० चाही ए, खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.12 है० चाही ए, खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.06 है०चाही ए, खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.01 है० गै० मु० चाह, खसरा नम्बर 1175 रकबा 0.05 है० बारानी ए, खसरा नम्बर 1176 रकबा 0.04 है० चाही ए, खसराा नम्बर 1178 रकबा 0.05 है० गै० मु० रास्ता कुल किता 13 कुल रकबा 0.72 है० स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी सं० 1, 2 हिस्सा प्रत्येक 1/4वादी संख्या 3, 4 हिस्सा प्रत्येक 1/16, प्रतिवादी संख्या 1. 2 हिस्सा 1/8, 1/8 प्रतिवादी सं० 3 हिस्सा 1/8 के खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज है। तथा ग्राम पामाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा के नये खाता संख्या 51 पुरानी 49 जिसके आराजी खसरा नम्बर 1165 रकबा 0.26 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.26 है0 स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी सं० 1 हिस्सा 1/2, वादी सं0 2 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं० 1, 2 हिस्सा प्रत्येक 1/8 के खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत तकासमा नही हुआ है आपस में मनसमाई से बाहमी रूपसे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर विभाजित क्रिया हुआ है और वादीगण अपने हिस्से पर शांति पूर्वक काबिज होकर प्राकृतिक उपज

२५६

Scanned with OKEN Scanner

उत्पन्न कर लाभान्वित होते हो रहे है। वर्णित वादग्रस्त भूमि का विधिवत तकासमा नही होने के कारण वादीगण को अपनी काश्त के उपयोग उपभोग करते वक्त, फसल बोने, काटने, जोतने, आबपासी करने, टैक्टर या कृषि यंत्रों का उपयोग उपभोग करते वक्त हर छोटी मोटी बात को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होता रहता है। तथा वादीगण अपनी काश्त के उपयोग उपभोग में कोई बाधा व्यवधान, अडचन कारित न हो इसके लिये वादीगण ने दिनांक 26/2/2024 को प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से तहसीलदार महोदय बॉदीकुई के यहां वादग्रस्त भूमि के कानूनी विभाजन के लिये कहा तो प्रतिवादीगण साफ तौर पर इंकार हो गये इस कारण दावा तकास्मा पेश करना आवश्यक हुआ है। वर्णित वादग्रस्त भूमि का दर्ज हिस्से अनुसार सरस नरस तकास्मा किया जाकर वादीगण के नाम पृथक से राजस्व अभिलेख, पर्चा, पासबुक, जमाबंदी इत्यादि में काश्तकार का अंकन दर्ज करते हुये मौके पर वादीगण को भौतिक रूप से कब्जा सम्भलाते हुये जोत विभाजन किया जाना आवश्यक है इसलिये दावा तकास्मा पेश है। वर्णित वादग्रस्त भूमि अभी तक कानूनी रूप से विभाजन नही हुआ है पक्षकारान ने मनसमाई से बाहमी रूप से हिस्से कायम किये हुये परन्तु प्रतिवादीगण बिना भूमि के कानूनी विभाजन हुये वादग्रस्त भूमि को अनजान दीगर सख्स को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा ऐलानियां भूमि को बेचने की धमकी कारित की हुयी है वादीगण को अपने विश्सनीय जानकारों से ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादी सं० 1, 2 ने गुपचुप तरीके से अपने हिस्से का बेचान का करार ओम प्रकाश सैनी निवासी पामाडी के साथ किया जा चुका है जबकि वादग्रस्त भूमि अभीतक सहखातेदारी की भूमि है । जिसका विधिक रूप से विभाजन नही हुआ है ऐसी परिस्थिति में दीगर सख्स अपनी सुविधा अनुसार मौके के विरूद्ध वादीगण के उपजाउ भाग पर जबरन कब्जा करने पर उतारू होने पर पक्षकारान के मध्य आपस में टकराव झगडा फिसाद की प्रबल सम्भावना बन जावेगी तथा जनधन हानी होने की हर समय सम्भावना होगी विवाद की सम्भावना को रोकने के लिये प्रतिवादीगण को पाबंद किया जानाा न्यायाहित में आवश्यक है। प्रतिवादीगण अपने नाजायज अवैध उद्देश्य में सफल हो गये तो वादीगण को अपूर्तिनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान में बेवजह मुकदमें बाजी छिड जावेगी जो बाय से बरबादी वादीगण होगी ऐसी सूरत में जुमले प्रतिवादीगण को फौरी तौरपर इस अमर से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण स्वय, उनके नौकर एजेन्ट, प्रतिनिधि, मददगारान, पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर वादग्रस्त भूमि को रहन बय मुन्तिकिल न करें वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में कोई बाधा, अवरोध, अडचन कारित नही करें नाही भूमि की किस्म परिवर्तित करें ना ही खाम या पुख्ता निर्माण करें वादग्रस्त भूमि के कानूनी विभाजन होने तक ताफैसला दावा मौके एवम रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश है । अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि वर्णित वादग्रस्त भूमि का दर्ज हिस्से अनुसार सरस नरस तकास्मा किया जाकर वादीगण के नाम पृथक से राजस्व अभिलेख, पर्चा, पासबुक, जमाबंदी इत्यादि में काश्तकार का अंकन दर्ज करते हुये मौके पर वादीगण को भौतिक रूप से कब्जा सम्भलाते हुये जोत विभाजन किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी कि जावें । तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पांबद फरमाया जावें कि भूमि मुतदाविया स्थित ग्राम पामाडी तहसील बॉदीकुई जिलादौसा वर्णित भूमि का जब तक विधिवत तकासमा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तबतक प्रतिवादीगण स्वय, उनके नौकर एजेन्ट, प्रतिनिधि, मददगारान, पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर वादग्रस्त भूमि को रहन बय मुन्तिकिल न करें वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में कोई बाधा, अवरोध, अडचन कारित नही करें नाही भूमि की किस्म परिवर्तित करें ना ही खाम या पुख्ता निर्माण करें वादग्रस्त भूमि के कानूनी विभाजन होने तक ताफैसला दावा मौके एवम रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने पाबंद फरमाया जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण विधिवत रूप से की गयी। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से एडवोकेट श्री भगवानसहाय सैनी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 03, 04 उपस्थित नहीं ना ही प्रतिवादी संख्या 03, 04 की ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित आया। अतः प्रतिवादीगण 3, 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। उभयपक्ष वकील द्वारा वादग्रस्त भूमि का विधिवत सरस नरस तकास्मा करवाने का निवेदन किया। दिनांक 23.09.2025 को न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बांदीकुई को उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारान के मध्य विधिवत रूप से मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सरस–नरस, रास्ते आदि की

२५६

सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन कर कुर्रेजात प्रस्ताव बरंग सुर्ख नक्शा ट्रैस के तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बांदीकुई ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/10945 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में भिजवाये। जिस पर पक्षकारान की कोई आपत्ति पेश नहीं हुयी। पेश कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत कुर्रेजात बरूये राजस्व रिकॉर्ड होना प्रतीत होती है। प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वाद को कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाकर पक्षकारान का निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैः–

क्र0सं0	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा
1	रामखिलाडी पि0 प्रसादी जाति माली सा.देह खातेदार	1164/1	0.0075
		1165/2	0.0687
	योग किता	**2**	**0.0762**
2	नाथूलाल पि0 प्रसादी जाति माली सा.देह खातेदार	1164/2	0.0075
		1165/3	0.0688
	योग किता	**2**	**0.0763**
3	रामखिलाडी, नाथूलाल पि0 प्रसादी हि0ब0 जाति माली सा.देह खातेदार	1132	0.0400
		1135/2	0.0625
	योग किता	**2**	**0.1025**
4	मोतीलाल पि0 श्रीया जाति माली सा.देह खातेदार	1130/1	0.0425
		1136	0.0600
		1161/2	0.1375
		1162/1	0.0150
	योग किता	**4**	**0.2550**
5	हट्टा पुत्र श्रीया जाति माली सा.देह खातेदार	1161/3	0.0245
		1166/2	0.1080
		1163/2	0.0150
		1162/2	0.0050
		1131	0.0400
		1135/3	0.0350
		1130/2	0.0275
	योग किता	**7**	**0.2550**
6	बुद्धा पुत्र मूलचंद हि0 1/2 मनोहरी पत्नि छाजूराम हि 1/4 रामबाबू पुत्र छाजूराम हि0 1/4 कौम माली सा.देह खातेदार	1165/4	0.1045
		1164/3	0.0050
		1166/3	0.0380
		1163/1	0.0050
		1133	0.0300
		1134	0.0500
		1135/1	0.0225
	योग किता	**7**	**0.2550**

Scanned with OKEN Scanner

7	नाथूलाल पुत्र प्रसादी हि0 1/8 बुद्धा पुत्र मूलचंद हि0 1/24 मनोहरी पत्नि छाजूराम हि0 1/48 मोती पुत्र श्रीया हि0 5/12 रामखिलाडी पुत्र प्रसादी हि0 1/8 रामबाबू पुत्र छाजूराम हि0 1/48 हट्टा पुत्र श्रीया हि0 1/4 कौम माली सा0देह खातेदार	1126	0.0600
		1123	0.1000
		1178	0.0500
		1176	0.0400
		1175	0.0500
		1158	0.0200
		1159	0.0200
		1174	0.0100
		1161/1	0.0180
		1166/1	0.0040
		1165/1	0.0180
	योग किता	**11**	**0.3900**

तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पेश कुर्रेजात उक्त आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में आयी भूमि पर मजाहमत पैदा ना करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 13.01.2026 को प्रकरण खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/1/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई